रेमिस टिरू, कें.श्र.से.
मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
REMIS TIRU, CLS
Chief Labour Commissioner (C)

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रमायुक्त (कें०) कार्यालय
श्रमेव जयते भवन, जी-4, सेक्टर-10
द्वारका, नई दिल्ली-110075
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner (C)
Shramev Jayate Bhawan, G-4, Sector-10
Dwarka, New Delhi-110075
Tel.: 011-20893603
E-mail : clc-mole@nic.in

संदेश

हमारा देश सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। देश की भाषाई संपन्नता को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान में भाषाओं के लिए अलग से आठवीं अनुसूची का प्रावधान किया जिसमें प्रारंभ में 14 भाषाएं रखी गई थी और अब इस अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी की महती भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा हिन्दी और देवनागरी लिपि को अपनाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश दिए गए हैं।

14 सितंबर, 1949 के दिन हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने हिन्दी के संवर्धन में सहयोग हेतु संदेश जारी किया है (प्रति अनुपालनार्थ संलग्न की गई है)।

मुख्य श्रमायुक्त (कें.) कार्यालय में दिनांक 14 सितंबर, 2023 से 28 सितंबर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें और हिन्दी के उत्तरोत्तर विकास में समग्र सहयोग करें।

मुझे आशा एवंदृढ़ विश्वास है कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा अपने कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारियों को भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित करेंगे ।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

रेमिस टिरू

(रेमिस टिरू)